

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

192—रामगंजमण्डी(अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मदन दिलावर

4 ई 7 रंगबाडी योजना, रंगबाडी रोड, कोटा राजस्थान

जो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित (मान्यता प्राप्त/पंजीकृत राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : कोटा

तारीख : 11.12.2018



(कृष्ण गोपाल जोजन)

रिटर्निंग ऑफिसर

निर्वाचन क्षेत्र

192—रामगंजमण्डी(अजा), कोटा

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी (192)

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election of the Legislative Assmbly of RAJASTHAN State from 192- RAMGANJMANDI (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions cotained in section 66 of the Representation of the People Act 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules.1961 .

I declare that –


Shri Madan Dilawar

4 E 7 Rangbari Yojna, Rangbari Road, kota (Rajasthan)

[sponsored by **Bharatiya Janata Party** (Name of the recognized/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - KOTA

Date - 11.12.2018


(Krishna Gopal Jain)
Returning Officer
विभागाध्यक्ष (192)
Ranganjhlandi(SC)